कार्यालय नगर पंचायत बभनान बाजार बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत बभनान बाजार बस्ती में पंजीकृत/अनुभवी ठीकेदारो से मोहरबन्द निविदा दिनांक 12-6-17 समय 02:00 बजे तक कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती (एल0बी0सी0 पटल) पर आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 03:00 बजे दिन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ठेकेदारो/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र की विक्री दिनांक 16-6-17 तक कार्यालय नगर पंचायत बभनान बाजार बस्ती, कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती पर कार्यालय समय में की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचना N.I.C. बस्ती के बेबसाईड w.w.w. nic. Basti. In पर उपलब्ध है, यदि इस सन्दर्भ में इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना/जानकारी चाहते है तो दिनांक 16-6-17 तक कार्यालय समय में नगर पंचायत बभनान बाजार कार्यालय से ज्ञात कर सकते है। विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	योजना का नाम	आगडन धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि
1	वार्ड नं0 02 आदिशक्ति नगर में महुआ डाबर उमरिया तिराहा से रामरेख पुरवा तक पिच सड़क निर्माण कार्य	नया सवेरा नगर विकास योजना	31,54,000.00	2 प्रतिशत	700	4 माह

नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धो का विवरण निम्नवत् है–

1. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी (संयुक्त रूप से) नगर पंचायत बभनान बाजार को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा को या समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है।
2. शासनदेश संख्या 6738/23–7–2206–176 (सा0)/लोक निर्माण अनुभाग–7 दिनांक 05 जनवरी 2007 के विन्दु सं0 18 के अनुपालन क्रम में ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय धरोहर धनराषि के रूप में बचत पत्र/इन्दिरा विकास पत्र/किसान विकास पत्र/किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा प्रमाण पत्र से जमा कर सकता है। जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बभनान बाजार के नाम बन्धक होना आवश्यक है। जिसका मूल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। छायाप्रति अमान्य होगी। नकद भी जमा किया जायेगा। निविदा डालते समय 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, शेष 08 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृति होने पर जमा करना होगा, अन्यथा विल से धनराशि काट ली जायेगी।
3. ठेकेदार को अपने व्यय से नियमानुसार जनरल स्टाम्प क्रय करके अनुबन्ध करना होगा बिना अनुबन्ध किये भुगतान नही किया जायेगा।
4. निविदा पर ओवर राइटिंग व कटिंग अमान्य होगी, ओवरराईटिंग व कटिंग होने पर निविदा निरस्त किया जा सकता है।
5. चालू भुगतान व अन्तिम भुगतान अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद बस्ती/राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, जो आगणन की धनराशि से अधिक का भुगतान नही किया जायेगा। सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का होगा।
6. धरोहर धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं अन्तिम भुगतान (अन्तिम चेक कटने के दिनांक से) की तिथि से छः माह के बाद संतोषजनक दशा में होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। जो अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त ही वापस किया जायेगा।
7. नियमानुसार व्यापार कर/आयकर/सेटेलमेन्ट चार्ज, रायलटी की कटौती अवर अभियन्ता द्वारा बिल बनाते समय की जायेगी। यह अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का उत्तदायित्व होगा।
8. यदि उक्त निविदा से सम्बन्धित कोई वाद विवाद उत्पन्न होता हैं तो किसी भी ठेकेदार व अन्य व्यक्ति को किसी न्यायालय में जाने का अधिकार न होगा। जिला मजिस्ट्रेट महोदय बस्ती का अन्तिम आदेष सर्वमान्य होगा।
9. धन उपलब्ध न होने पर शासन से धन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। ऐतराज अमान्य होगी।
10. आगणन से अधिक का भुगतान नही किया जायेगा।
11. विना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नही किया जायेगा यदि अधिक कार्य करता है तो उसका भुगतान नगर पंचायत बभनान बाजार के खाते से नही किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठीकेदार का होगा नगर पंचायत बभनान बाजार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
12. प्रदेश में ठेका/अनुबन्ध तथा पट्टे में माफियाओं को रोक लगाने हेतु रिट याचिका संख्या 5018/एम0एस0/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2006 के अनुपालन के सम्बन्ध में के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही संपन्न की जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0–टी0–4) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

14. ठेकेदार द्वारा अपने [illegible] हैसियत प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0– टी0–5) निविदा के साथ संलग्न [illegible]
15. ठेकेदार को (पी0डब्लू0डी0– [illegible] के स्टम्प पेपर पर नोटरी द्वारा दो सक्ष्यो की उपस्थिति में सत्यापित [illegible] किया जाना अनिवार्य हैं, जिसपर पास्पोर्ट साईज का फोटोग्राफ नवीनतम [illegible] किया जायेगा।
16. बिना अनुबन्ध किये [illegible]
17. क्रमांक 01 से लेकर 17 तक के प्राविधानो का ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य हैं। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्राविधानो का अनुपालन नही करता हैं तो उसका निविदा/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा।

(कृष्ण प्रताप सरल)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बभनान बाजार
जनपद–बस्ती।

(सईद खाँ)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बभनान बाजार
जनपद–बस्ती।

पत्रांकः 302(2) /न0प0ब0/2017–18 दिनांकः 6.6.17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी बस्ती।
2. नगर पंचायत बभनान बाजार बस्ती के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 बस्ती को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त निविदा सूचना को एन0आई0सी0 बस्ती के बेवसाईड पर प्रदर्षित करने की कृपा करे।

(सईद खाँ)
अध्यक्ष
नगर पंचायत बभनान बाजार
बस्ती